अपील सूचना अधिकार संख्या 55/2020 (RCMS 2020/00103) सुखदेव पुत्र सतनाम चन्द वीपीओ मानेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 63783–85043) बनाम लो.सू.अ. एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.10.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुखदेव स्वयं उपस्थित नहीं है। **पत्रावली का अवलोकन किया** तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन पत्र दिनांक 03.01.2020 प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे समय उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से निःशुल्क सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी सुखदेव ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.01.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

> चक 5 एफडीएम (बी) के मुरबा नम्बर 98/339 हल्का पटवारी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि
>
> 1 वर्तमान में इस जमीन पर कब्जा किसका है, सम्बन्धित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि।
> 2. आज से 10 वर्ष पूर्व इस पर काबिज की प्रमाणित प्रतिलिपि।
> 3. इन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें
> 4. यदि इन्तकाल खाजिर किया गया, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।
> 5. जमीन सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक रीडर/2020/69 दिनांक 05.03.2020 से अपीलार्थी के निम्नानुसार जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा चक 5 एफडीएम (बी) के मुरबा नम्बर 98/339 हल्का पटवारी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति चाही है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1 वर्तमान में इस जमीन पर कब्जा किसका है, सम्बन्धित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि।

2. आज से 10 वर्ष पूर्व इस पर काबिज की प्रमाणित प्रतिलिपि।

3. इन्तकाल की प्रमाणित प्रति।

4. जमीन सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं द्वारा चाही गई समस्त सूचना प्रश्नवाचक है, का प्रत्युत्तर बिन्दुवार निम्नानुसार हैः

1. पटवारी रिपोर्ट किस दिनांक एव किस दिवस की चाही है, अंकित नहीं है।

2. वर्तमान में किसका कब्जा है, प्रश्नवाचक सूचना नियमों में देय नहीं है।

3. 10 वर्ष पूर्व किसका कब्जा रहा खोज कर, खोजे गये तथ्यों पर आधारित है जो कि सूचना के अधिकार नियमों के अन्तर्गत देय नहीं है।

4. इन्तकाल की प्रमाणित प्रति का दिनांक अंकित नहीं है, इन्तकाल की प्रमाणित प्रति चाही जा रह है जो प्रश्नवाचक व खोज के तथ्यों पर आधारित है।

5. जमीन संबंधी किसी प्रकार के दस्तावेज चाहे है, दस्तावेजों का नाम अंकित नहीं है। अतः सूचना नहीं दी जा सकती है।

इस संबंध में आपको दिनांक 09.01.2020 से आपके मोबाईल नम्बर 6378385043 पर कार्मिक द्वारा सूचित किया गया है। कृपया सूचित रहें।

तहसीलदार (राजस्व)
सूरतगढ़

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 05.03.2020 दिया जा चुका है जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं प्रश्नात्मक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो के रूप में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार,**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सूरतगढ़ द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया गया है, सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर